न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 14 **/2022** . (Bank Case)

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान, प्राधिकृत अधिकारी श्री खेमराज पटवा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स श्री बालाजी एग्रो सेल्स एवं सर्विस जरिये प्रापराईटर श्री महावीर मीना
   पता– सालपुरा रोड, अटरू बारां राजस्थान– 325218 **(ऋणी)**
2. मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी जरिये पार्टनर श्री महावीर मीना एवं श्रीमती ऐखना
   पता– मण्डी यार्ड अटरू, बारां राजस्थान– 325218 **(जमानती)**
3. श्री महावीर मीना पुत्र श्री घांसी लाल मीना
   पता– धाकड माली मोहल्ला, खूरी अटरू, बारा **(जमानती एवं बंधककर्ता)**
4. श्रीमती ऐखना पत्नि श्री महावीर मीना
   पता– खेडलीगंज, अटरू बारां राजस्थान– 325218 **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30/9/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ''एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड'' पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30 अगस्त 2019 को 35,00,000/– रूपये (अक्षरे पैतीस लाख रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल की सम्पत्ति जो कि प्लॉट एवं खसरां नं. 1479, ग्राम अटरू, बारां राजस्थान, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3200 वर्ग फिट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में शंकरल[illegible] का प्लॉट, पश्चिम में सरकारी नाला, उत्तर में पुष्प चन्द्र मेघवाल का खुला प्लॉट, [illegible] सालपुरा रोड तथा श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल की सम्पत्ति [illegible] तहसील अटरू जिला बारां जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा [illegible] के अभिन्न अंग है। [illegible] क्षेत्रफल 4684 वर्ग फीट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में राध[illegible]म शर्मा का मकान, प[illegible] सरकारी बिल्डिंग, उत्तर में मेन कस्बा रोड, दक्षिण में रोड है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.01.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 29,04,804/– (अक्षरे उनतीस लाख चार हजार आठ सौ चार रूपये) बकाया राशि दिनांक 01.02.2022 तक शेष देय है व दिनांक 02.02.2022 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त नही हुआ। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 01.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "राष्ट्रदूत" में दिनांक 03.03.2022 व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 09.03.2022 को प्रकाशित करवाया गया। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 01.02.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। जो अप्रार्थीगण को प्राप्त नही हुआ। तत्पश्चात् जर्ये समाचार पत्र सूचित किया गया। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल की सम्पत्ति जो कि प्लॉट एवं खसरां नं. 1479, ग्राम अटरू, बारां राजस्थान, जिसमें भूमि, भवन एवं टांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3200 वर्ग फिट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में शंकरलाल नागर का प्लॉट, पश्चिम में सरकारी नाला, उत्तर में पुष्प चन्द्र मेघवाल का खुला प्लॉट, दक्षिण में सालपुरा रोड तथा श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री घासी लाल की सम्पति जो कि प्लॉट नं. 346, ग्राम अटरू, तहसील अटरू जिला बारां जिसमें भूमि, भवन एवं टांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका क्षेत्रफल 4684 वर्ग फीट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में राधेश्याम शर्मा का मकान, पश्चिम में सरकारी बिल्डिंग, उत्तर में मेन कस्बा रोड, दक्षिण में रोड है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। स[illegible] स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे य[illegible] आदेश [illegible] क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को [illegible] जावे।

आदेश आज दिनांक [illegible] को सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:52 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)